संस्था का ज्ञापन (घोषणा-पत्र) तथा नियम MEMORANDUM OF ASSOCIATION AND RULES

2011



भारतीय लोक प्रशासन संस्थान इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली-110002

INDIAN INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION Indraprastha Estate, Ring Road, New Delhi-110002

# संस्थाओं के पंजीकरण का प्रमाण पत्र 1860 का अधिनियम 21 1953-54 की अधिसूचना संख्या एस 718

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को संस्थाओं के पंजीकरण अधिनियम 21, वर्ष 1860 के अधीन आज पंजीकृत किया गया है।

आज तेरह मार्च एक हज़ार नौ सौ चौवन के दिन दिल्ली में मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

पंजीकरण शुल्क 50 रू० का भुगतान किया गया।

ह<sub>°</sub> /- (बी° आर° सेठ) 13.3.54 *संयुक्त पूंजी कम्पनियों के पंजीयक, दिल्ली।* 

# Certificate of Registration or Societies ACT XXI OF 1860

### NO.S. 718 OF 1953-54

I hereby certify that The Indian Institute of Public Administration has this day been registered under the Societies Registration Act XXI of 1860.

Given under my hand at Delhi this Thirteenth day of March, one thousand nine hundred fiftyfour.

Registration fee Rs. 50 paid.

Sd/- (B.R. SETH) 13-3-54 Registrar of Joint Stock Companies, Delhi. अधिनियम 21, 1860-पंजीकरण, साहित्यिक, वैज्ञानिक तथा धर्मार्थ संस्थाएँ, तथा

"भारतीय लोक प्रशासन संस्थान" के संबंध में ।

# संस्था का ज्ञापन (घोषणा-पत्र)

- संस्था का नाम "भारतीय लोक प्रशासन संस्थान" है।
   (क) संस्था का पंजीकृत कार्यालय दिल्ली राज्य में स्थापित होगा।
- 2 जिन उद्देश्यों हेतु संस्था का गठन किया गया, वे हैं-
  - (क) "लोक प्रशासन" तथा "लोक प्रशासन और सरकारी तंत्र" के विशिष्ट संदर्भ में अर्धशास्त्र तथा राजनीति विज्ञान के अध्ययन को तथा उसके आनुषंगिक शैक्षणिक उद्देश्यों को बढ़ावा देन तथा उनकी व्यवस्था;
  - (ख) लोक प्रशासन तथा सरकारी तंत्र से संबंधित शिक्षा पाठ्यक्रमों, सम्मेलनों, व्याख्यानों तथा अनुसंधानों का उत्तरदायित्व लेना, उन्हें आयोजित करना तथा उन्हें सुसाध्य बनाना;
  - (ग) लोक प्रशासन में प्रशिक्षण देने तथा लोक प्रशासन की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पत्रिकाओं, पुस्तकों तथा शोध लेखों के प्रकाशन का कार्यभार तथा उसकी व्यवस्था;
  - (घ) लोक प्रशासन का अध्ययन तथा उससे संबंधित सूचना प्रसारण सुसाध्य बनाने के लिए पुस्तकालयों तथा सूचना सेव की स्थापना तथा सुधारण;
  - (ड़) संस्था के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए भारत में सुविधाजनक केन्द्रों पर क्षेत्रीय शाखाएं स्थापित करना अथवा स्थापना प्रेरित करनाः

In the matter of Act XXI of 1860 being an Act for the Registration of Literary, Scientific and Charitable Societies, and

In the matter of "The Indian Institute of Public Administration".

### MEMORANDUM OF ASSOCIATION

- 1. The name of the Society is "The Indian Institute of Public Administration".
- 1 (A). That the Registered Office of the Society shall be situated in Delhi State.
  - 2. The objects for which the Society is formed are:
    - to promote and provide for the study of Public Administration and economic and political science with special reference to public administration and the machinery of government and for educational purposes incidental thereto;
    - (ii) to undertake, organise and facilitate study courses, conferences and lectures and research in matters relating to public administration and the machinery of government;
    - (iii) to undertake and provide for the publication of a journal and of research papers and books to impart training in and promote study of public administration;
    - (iv) to establish and maintain libraries and information services to facilitate the study of public administration and spreading information in regard thereto;
    - (v) to constitute or cause to be constituted Regional Branches at convenient centres in India to promote the objects of the Society;

- (च) लोक प्रशासन के उद्देश्यों में सहायता के प्रायोजन हेतु मान्यता प्राप्त संस्थानों तथा समितियों से सहयोग;
- (छ) उक्त उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने हेतु धन और निधि के लिये अपील तथा आवेदन प्रसारित करना तथा नकद और प्रतिभूतियों तथा अन्य चल अथवा अचल सम्पत्ति का दान, चन्दा या उपहार स्वीकार करना;
- (ज) संस्था की निधि और धन से संबंधित कार्य करना तथा उसका निवेश करना;
- (झ) संस्था को आगे बढ़ाने हेतु आवश्यक अथवा सुविधाजनक किसी भी चल अथवा अचल सम्पति को दिल्ली में अथवा दिल्ली से बाहर, स्थायी रूप से अथवा अस्थायी रूप से प्राप्त करना, खरीदना अथवा अन्य किसी भी प्रकार से अपने स्वामित्व में लेना – पट्टे पर या किसाये पर;
- (ञ) संस्था के उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने हेतु संस्था की सम्पूर्ण अथवा कोई भी चल अथवा अचल सम्पति बेचना, बंधक रखना, पट्टे पर देना, विनियमित करना अथवा अन्यथा हस्तांरित करना या विहित करना:
- (ट) संस्था के उद्देश्यों के लिए आवश्यक अथवा सुविधाजनक किन्हीं भी भवनों अथवा निर्माण कार्यों का निर्माण, अनुरक्षण, रूपांतरण, सुधार अथवा विकास;
- (ठ) किसी अक्षयनिधि अथवा न्यासनिधि या दान का प्रबंधन स्वीकार करना तथा उसका उत्तरदायित्व लेना:
- (ड) संस्था के कर्मचारियों के लाभ के लिए भविष्य निधि स्थापित करना;
- (ढ) संस्था के उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने के लिए पारितोषिक देना तथा छात्रवृतियाँ और वजीफे देना;
- (ण) ऐसे सभी उचित उपाय करना जो उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक या सहवर्ती है।

- (vi) to cooperate with approved institutions and bodies for the purposes of helping the cause of public administration;
- (vii) to issue appeals and application for money and funds in furtherance of the said objects and to accept gifts, donations and subscription of cash and securities and of any property either movable or immovable;
- (viii) to invest and deal with funds and money of the Society;
- (ix) to acquire, purchase or otherwise own or take on lease or hire in the State of Delhi or outside, temporarily or permanently, any movable or immovable property necessary or convenient for the furtherance of the Society;
- (x) to sell, mortgage, lease, exchange and otherwise transfer or dispose of all or any property, movable or immovable, of the Society for the furtherance of the objects of the Society;
- (xi) to construct, maintain, alter, improve or develop any buildings or works necessary or convenient for the purposes of the Society;
- (xii) to undertake and accept the management of any endowment or trust fund or donation;
- (xiii) to establish a provident fund for the benefit of the employees of the Society;
- (xiv) to offer prizes and to grant scholarships and stipends in furtherance of the objects of the Society; and
- (xv) to do all such other lawful things as conducive or incidental to the attainment of the above objects.

3. कार्य-परिषद् के प्रथम सदस्यों के नाम, पता तथा व्यवसाय, जिन्हें संस्था के नियमों के अनुसार इसके कार्यों का प्रबंध सौपा गया है, इस प्रकार है:

क्रम	नाम	पदनाम	व्यवसाय तथा
Ħo			पता
1.	पं जवाहरलाल नेहरू	संस्थान के अध्यक्ष तथा कार्य परिषद् के पदेन सदस्य।	ारत के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री निवास, नई दिल्ली।
2.	श्री वी॰टी॰ कृष्णमाचारी	कार्य परिषद् के अध्यक्ष।	उपाध्यक्षा, योजना आयोग, 11 यर्क रोड, नई दिल्ली।
3.	श्री सी॰डी॰ देशमुख	संसाधन के उपाध्यक्ष तथा कार्य परिषद् के पदेन सदस्य।	भारत के वित्त मंत्री, विलिंग्डन क्रीसेन्ट नई दिल्ली।
4.	डा <sub>॰</sub> <b>बी</b> ॰सी॰ राय	तथैव	मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल सरकार, कलकत्ता।
5.	डा॰ के॰एन॰ काट्जू	तथैव	भारत के गृहमंत्री, 1 क्वीन विक्टोरिया रोड, नई दिल्ली।
6.	श्री यू॰एन॰ धेबर	तथैव	मुख्य मंत्रो, सौराष्ट्र सरकार, राजकोट।
	् पण्डित एच₀एन₀ कु-जरू	तथैव,	सदस्य राज्यसभा, 18 फिरोज़शाह रोड नई दिल्ली।
	श्री गुरमुख निहाल सिंह	तथैव	अध्यक्ष, दिल्ली राज्य विधानसभा 13/5, रूप नगर, दिल्ली।
<b>)</b> .	श्री एस. बी. <b>बा</b> पत	संस्थान के अवैतनिक कोषाध्यक्ष तथा कार्य परिषद् के पदेन सदस्य।	संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, स्थापना अधिकारी, निदेशक संगठन एवं पद्धति संभाग, 1 दुगलक रोड, नई दिल्ली।

3. Names, addresses and occupations of the first members of the Executive Council to whom by the Rules of the Society, the management of its affairs is entrusted are as follows:

SI. No.	Name	Designation	Occupation and Address
1.	Pandit Jawaharlal Nehru	President of the Insti- tute and ex-officio Mem- ber of the Executive Council.	•
2.	Shri V.T. Krishna- machari	Chairman of the Executive Council.	Deputy Chairman, Planning Commission, 11 York Road, New Delhi.
3.	Shri C. D. Deshmukh	Vice President of the Institute and ex-officio Member of the Executive Council	Finance Minister of India, Willingdon Crescent, New Delhi.
4.	Dr. B.C. Roy	-do-	Chief Minister, West Bengal Government, Calcutta.
5.	Dr. K.N. Katju	-do-	Home Minister of India, 1 Queen Victoria Road, New Delhi.
6.	Shri U.N. Dhebar	-do-	Chief Minister, Saurashtra Government, Rajkot.
7.	Pandit H.N. Kunzru	-do-	Member, Council of States, 18 Ferozshah Road, New Delhi.
8.	Shri Gurmukh Nihal Singh	-do-	Speaker, Delhi State Assembly, 13/V, Roop Nagar, Delhi.
9.	Shri S.B. Bapat	Honorary Treasurer of the Institute and ex-officio Member of the Executive Council.	Joint Secy., Ministry of Home Affairs, Establish- ment Officer, Director of Organization and Methods Division, I Tughlak Road, New Delhi.

क्रम	नाम	पद्नाम	व्यवसाय तथा
₹6			पता
10.	श्री वाई०एन७ सुखटणकर	कार्य परिषद् के सदस्य	मंत्रिमंडलीय सचिव, तथा स <b>चिय,</b> योजना आयोग, 3 क्वीन्सवे, नई दिल्ली।
11.	श्री रामुन्नी मेनन	तथैव .	मुख्य सचिव, मद्रास <b>सरकार</b> मद्रास।
12.	श्री ए.के.चन्दा	तथैव	सचिव, उत्पादन मंत्रालय, पदनामित महालेखापरीक्षक, ऽ सुनहरी बाग रोड, नई दिल्ली।
13.	श्री एनः वीः मोदक	तथैव	विशेष अभियन्ता, महत्तर बम्बई योजना, मर्केन्यइल बैंक बिल्डिंग्स, गांधी रोड, बम्बई।
14,	श्री बी॰वेंकटपय्या	तथैव	कार्य निदेशक, भारतीय रिज़र्ब बैंक, बम्बईः
15.	श्री माथुल्लाह	तथैव	लेखा नियंत्रक, सिन्धरी फर्टिलाइज् <b>र फैक्टरी, सिंधरी</b> (बिहार)।
	श्री सी <sub>०</sub> एस <sub>०</sub> वेकटाचार	तथैव	लेखा सचिव, राज्य मंत्रालय, 7 तुगलक रोड, नई दिल्ली।
17.	श्री एन₀के₀ सिद्वांत	तथैव	सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग, 29–30, बेस्टर्न कोर्ट, नई दिल्ली।
18.	श्री कें रघुरम्पैया	तथैव	संसद सदस्य, 13 फिरोज्शाह रोड, नई दिल्ली।
19.	श्री एच०एम७ पटेल	तथैव	सचिव, कृषि तथा खाद्यान्न मंत्रालय, 2 रॉबर्टस रोड. नई दिल्ली।

SI. No.	Name	Designation	Occupation and Address
10.	Shri Y.N. Sukthankar	Member of the Executive Council.	Cabinet Secy., and Secy., Planning Com- mission, 3 Queensway, New Delhi.
11,	Shri Ramunni Menon	Member of the Executive Council	Chief Secy., Govern- ment of Madras, Madras.
12.	om i sir. Chang	-do-	Secy., Production Ministry, Auditor- General Designate, 5 Sonehri Bagh Road, New Delhi.
13.	Shri N.V. Modak	<b>-do-</b>	Special Engineer, Greater Bombay Scheme, Mercantile Bank Buildings Gandhi Road, Bombay
14.	Shri B. Venkatappiah	-do-	Executive Director, Reserve Bank of India, Bombay.
15.	Shri Mathullah	-do-	Controller of Accounts, Sindhri Fertilizer Factory, Sindhri (Bihar).
16.	Shri C.S. Venkatachar.	-do-	Secy., Ministry of States, 7 Tughlak Road, New Delhi.
17.	Shri N.K. Sidhanta	-do-	Member, Union Public Service Commission, 29-30, Western Court New Delhi.
18.	Shri K. Raghura- maya	-do-	Member of Parliament, 13 Ferozshah Road, New Delhi.
19.	Shri H.M. Patel	-do-	Secy., Ministry of Food & Agriculture, 2 Roberts Road, New Delhi.

41

क्रम संः	नाम	प्दनाम	व्यवसाय तथा पता
	डा <sub>०</sub> श्रीमती सीता परमानन्द	कार्य परिषद् के सदस्य	संसद सदस्य, 47 नार्थ एवन्यु, नई दिल्ली।
21.	प्रो₀ एस₀बी०कोगेकर	तथैव	राजनीति-शास्त्र के प्रो <b>फैसर,</b> 331/15, सदाशिव पेठ, पूना।
22.	प्रो॰ बी॰ के॰ एन॰ पेनन	तथैव	राजनीति–शास्त्र के प्रोक्षेसर, पटना विश्वविद्यालय, पटना बिहार)।
23.	श्री दीन दयाल शर्मा	तथैव	सचिव, नई दिल्ली नगरपालिका, नई दिल्ली।
24.	प्रो₀डो₀जी₀ कार्वे	संस्थान के निदेशक तथा कार्यनिदेशक, परिषद् के पदेन सदस्य सचिव संगठन,	कार्यक्रम मृल्यांकन योजना आयोग, 14 कॉन्स्टीट्युशन हाउस, नई दिल्ली।

कार्य परिषद् के चार सदस्यों द्वारा सही प्रति के रूप में प्रमाणित संस्था के नियमों की एक प्रति संस्था के ज्ञापन के साथ पंजीयक, संयुक्त पूंजी कम्पनी, दिल्ली, के पास जमा कर दी गयी है।

हम, अनेक व्यक्ति जिनका नाम तथा पता नीचे दिया गया है तथा जिन्होंने संस्था के ज्ञापन में वर्णित उद्देश्यों के लिए स्वंय सहयोग किया है, यहां इस संस्था के ज्ञापन को अपना नाम देते हुए व्यक्तिशः अपने-अपने हस्ताक्षर करते हैं और मार्च, 1954 की इस तेरहवीं तारीख को नई दिल्ली में 1860 के अधिनियम 21 के अधीन स्वंय को संस्था के रूप में संगठित करते हैं।

Sl. No.	Name	Designation	Occupation and Address
20.	Dr. (Shrimati) Seeta Parmanand	Member of the Executive Council	Member of Parliament, 47 Norh Avenue, New Delhi.
21.	Prof. S.V. Kogekar	-do-	Professor of Politics, 331/5, Sadashiv Peth, Poona.
22.	Prof. V.K.N. Menon	-do-	Professor of Politics, Patna University, Patna (Bihar).
23.	Shri Din Dayal Sharma	-do-	Secy., New Delhi Municipal Committee. New Delhi.
24.	Prof. D.G. Karve	Director of the Institute and ex-officio Member- Secretary of the Execu- tive Council.	Director, Programme Evaluation organization, Planning Commission. 14. Constitution House. New Delhi.

A copy of the Rules of the Society, certified to be a correct copy by four members of the Executive Council, is filed with the Registrar of Joint Stock Companies, Delhi, along with its Memorandum" of Association.

We, the several persons whose names and addresses are given below, having associated ourselves for the purposes described in this Memorandum of Association, do hereby subscribe our names to this Memorandum of Association and set our several and respective hands hereunto and form ourselves into a society under Act XXI of 1860, this Thirteenth day of March, 1954, at New Delhi.

		• •	•				
क्रम सं <sub>०</sub>	साक्षी	सदस्यों के नाम, पता तथा व्यवसाय	सदस्यों के हस्ताक्षर	SI. No.	Witness	Names, Address and Occupation of Members	Signature of Members
1.	·	श्री डी.एल.मजूमदार, विशेष कर्त्तव्य अधिकारी, वित्त मंत्रालय, 1 सुनहरी बाग रोड़, नई दिल्ली।	₹	I.		Shri D.L. Majumdar, Officer on Special Duty, Ministry of Finance, I Sonehri Bagh Road, New Delhi.	Sd/-
2.		श्री एस. जी. बर्वे; संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, 6 रॉबर्टस लेन, नई दिल्ली।	ह०	2.		Shri S.G. Barve, Jt. Secy., Ministry of Finance, 6 Roberts Lane, New Delhi.	Sd/•
3.		श्री पी.एन. थापर सलाहकार, योजना आयोग, 22 विलिंग्डन क्रीसेन्ट, नई दिल्ली।	<b>ह</b> o :	3.		Shri P.N. Thapar, Adviser Planning Commission, 22. Willingdon Crescent, New Delhi.	Sd/-
4.		श्री ए.वी. पाई, भारत सरकार के सचिव, गृह मंत्रालय, 9 यार्क रोड, नई दिल्ली।	₹0	4.		Shri A. V. Pai, Secy. to the Government of India, Ministry of Home Affairs, 9 York Road, New Delhi.	Sd/-
5.		श्री जे. दयाल, संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, 23 सफदरजंग रोड, नई दिल्ली।	ह०	5.		Shri J. Dayal, Jt. Secy., Ministry of Finance, 23 Safdarjung Road, New Delhi.	Sd/-
6.	·	श्री ए. अप्पादोर्छ्, महासचिव, विश्व मामलों की भारतीय परिषद्	<b>₹</b> •	6.		Shri A. Appadorai, SccyGeneral, Indian Council of World Affairs 112 Babar Road, New Delhi.	Sd/- s,
7.		112 बाबर रोड, नई दिल्ली। श्री जी.एल. बंसल संसद सदस्य तथा सचिव, भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ 28 फिरोज़शाह रोड, नई दिल्ली।	<b>₹</b> ∘	7.		Shri G.L. Bansal, Member of Parliament and Secretary, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, 28 Ferozshah Roa New Delhi.	Sd/- ad.

.

		•	
क्रम	साक्षी	सदस्यों के नाम, पता	सदस्यों को
सं₀े		तथा व्यवसाय	हस्ताक्षर
	-	साक्षी .	
		श्री बी॰जी॰ मुर्देश्वर, संयुक्त सचिव,	ह०
		विधि मंत्रालय,	
		1 <b>4 रॉबर्ट</b> स लेन,	
		नई दिल्ली।	

Sl. Witness No. Names, Address and Occupations of Members Signature of Members

WITNESS

Shri B.G. Murdeshwar, Joint Secretary, Ministry of Law, 14 Roberts Lane, New Delhi. Sd/-

# भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के नियम

## I. परिभाषा

- । इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों-
  - (क) "संस्थान" से भारतीय लोक प्रशासन संस्थान अभिप्रेत है:
  - (ख) "लोक सेवा" के अन्तर्गत संघ, राज्यों तथा भारत के विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के अधीन स्थापित स्थानीय तथा अन्य प्राधिकरणों के मामलों से संबंधित सेवायें सम्मिलित है:
  - (ग) "सामान्य सभा" से संस्थान की सामान्य सभा अभिप्रेत है;
  - (घ) "कार्य परिषद्" से संस्थान की कार्य परिषद् अभिप्रेत है;
  - (ड.) 'सदस्य' से अभिप्राय संस्थान के ऐसे सदस्य से है जिसे इन नियमों के अधीन संस्थान का सदस्य बनाया गया है परन्तु इसमें ("सामान्य सभा का सदस्य" की अभिव्यक्ति के अतिरिक्त अन्यथा) निगमित सदस्य अथवा सह-सदस्य या छात्र सदस्य सम्मिलित नहीं हैं;
  - (च) "निगमित सदस्य" से अभिप्राय संस्थान के ऐसे निगमित सदस्य से है जिसे इन नियमों के अधीन निगमित सदस्य बनाया गया है;
  - (च.क) "सह-सदस्य" से अभिप्राय संस्थान के ऐसे सह सदस्य से है जिसे इन नियमों के अधीन सह सदस्य बनाया गया है;
- (छ) "छात्र सदस्य" से अभिप्राय संस्थान के ऐसे छात्र सदस्य से है जिसे इन नियमों के अधीन छात्र सदस्य बनाया गया है:
- (ज) 'विहित' से अभिप्राय कार्य परिषद् द्वारा निर्मित उपविधि द्वारा विहित से है।
- (झ) "शैक्षणिक कर्मचारी वर्ग" से अभिप्राय संस्थान के उन कर्मचारियों से है जो शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध अथवा परामर्श संबंधी कार्यों में कार्यरत है।

# RULES OF THE INDIAN INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION

### I. DEFINITION

- 1. In these Rules, unless the context otherwise requires:
  - (a) "The Institute" means the Indian Institute of Public Administration;
  - (b) "The public service" includes the services in connection with the affairs of the Union, the States and Local and other authorities, established by law made by a legislature in India;
  - (c) "The General Body" means the General Body of the Institute;
  - (d) "The Executive Council" means the Executive Council of the Institute;
  - (e) 'Member' means a Member of the Institute, admitted as such under these Rules but does not include a Corporate Member, (except in the expression 'Member of the General Body') or an Associate Member or Student Member;
  - (f) "Corporate Member" means a Corporate Member of the Institute admitted as such under these Rules;
  - (f.a) "Associate Member" means an Associate Member of the Institute, admitted as such under these Rules;
  - (g) 'Student Member' means a Student Member of the Institute, admitted as such under these rules;
  - (h) "Prescribed" means prescribed by bye-law made by the Executive Council;
  - (i) "Academic Staff" means the employees of the Institute engaged in education, training, research or consultancy.

# II. सामान्य सभा तथा सदस्यता

- 2. *सामान्य सभा* संस्थान की सामान्य सभा सदस्यों तथा निगमित सदस्यों से मिलकर बनेगी।
- सदस्य निम्नलिखित संस्थान के सदस्य होंगे -
  - (क) 1860 को अधिनियम को अधीन संस्थान के पंजीकरण की तारीख को जिन लोगों को नाम इस उद्देश्य को लिए तैयार की गयी संस्थान के सदस्यों की नामावली में सामान्य सदस्यों के रूप में दर्ज थे;
  - (ख) संस्थान के इस पंजीकरण के पश्चात् विहित प्रपत्र पर आवेदन करने पर जिन लोगों को कार्य परिषद् द्वारा संस्थान का सामान्य सदस्य बनाया गया; तथा
  - (ग) भविष्य में जिन लोगों को विहित फार्म पर आवेदन करने पर कार्य परिषद् द्वारा संस्थान का सदस्य बनाया जाये।
- 4. *सदस्यता के लिए अईता* निम्नलिखित व्यक्ति सदस्य बनाये जाने के पात्र होंगें –
  - (क) कोई भी ऐसा व्यक्ति जो प्रशासिनक/प्रबंधकीय हैसियत से लोक सेवा में नियुक्त है अथवा नियुक्त था;
  - (ख) कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा लोक प्रशासन तथा प्रबंधविज्ञान में प्रशिक्षण और शोध में संलग्न सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में लोक प्रशासन अथवा संबंधित विषयों के अध्ययन अथवा शिक्षण में नियुक्त है अथवा नियुक्त था;
  - (ग) कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कार्य परिषद् की राय में : (अ) लोक प्रशासन के व्यवहार, अथवा (आ) लोक प्रशासन के अध्ययन तथा शोध में सक्रिय रूप से लिप्त अथवा कार्यरत है।

किन्तु कोई भी व्यक्ति तब तक सदस्य बनाये जाने का पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने ऐसी सदस्यता के अपने प्रार्थना पत्र के समय इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त न कर ली हो।

### II. GENERAL BODY AND MEMBERSHIP

- 2. General body -- The General Body of the Institute shall be composed of Members and Corporate Members.
  - 3. Member -- The following shall be Members of the Institute:
    - (i) Persons whose names were entered on Ordinary Members of the Institute on the Roll of Members of the Institute, maintained for the purpose at the date of the Registration of the Institute under Act of 1860;
    - (ii) Persons admitted by the Executive Council after such registration of the Institute as Ordinary Members of the Institute on application in the prescribed form; and
    - (iii) Persons hereafter admitted by the Executive Council as Members of the Institute on application in the prescribed form.
- 4. Qualification for Membership -- The Following persons shall be eligible for admission as Members:
  - any person who is or was employed in the public services in an administrative/managerial capacity;
  - (ii) any person who is or was employed in the teaching or study of public administration or related subjects in a University, College or institution engaged in research and training in public administration and management recognised by Government; and
  - (iii) any persons who, in the opinion of the Executive Council, is actively involved or engaged in (i) the practice of public administration or (ii) study and research in public administration.

Provided that no person shall be eligible for admission as Member, unless he has completed twenty-one years of age at the time of his application for such admission.

- 5. निगमित सदस्य कार्य परिषद् विहित प्रपत्र पर आवेदन करने पर लोक सेवा के दायरे में आने वाले किसी संगठन के प्राधिकारी, ऐसी किन्ही सेवाओं के किसी भी मान्यता प्राप्त सदस्य-संघ, लोक प्रशासन के अध्ययन में लगे हुए किसी विश्वविधालयीन विभाग या संस्थान, किसी साविधिक निगम, किसी संयुक्त पूंजी कम्पनी, किसी पंजीकृत संस्था अथवा किसी पंजीकृत व्यापारिक संगठन को ऐसी शर्तो पर जो प्रत्येक प्रकरण में निर्दिष्ट की जाये, संस्थान का निगमित सदस्य बना सकती है।
- 5(क). सह-सदस्य कार्य परिषद् विहित प्रपत्र पर आवेदन करने पर उस व्यक्ति को संस्थान का यह सदस्य बना सकती है, जिसने 21 वर्ष को आयु प्राप्त कर है तथा जो लोक प्रशासन के अध्ययन अथवा व्यवहार से सक्रिय रूप से संबंधित हो अथवा अभिरूचि रखता हो। ऐसे सह-सदस्य के यथा विहित अधिकार तथा प्रधिकार होंगें।
- 5(ख). छात्र सदस्य कार्य परिषद् विहित प्रपत्र पर आवेदन करने पर लोक प्रशासन के अध्ययन में रूचि वाले प्रामाणिक स्नातकोत्तर छात्र को संस्थान का छात्र सदस्य बना सकती है। ऐसे छात्र सदस्य के यथा विहित अधिकार तथा प्राधिकार होंगें।
- 6. मानद सदस्य कार्य परिषद् ऐसे किसी व्यक्ति को संस्थान का मानद सदस्य निर्वाचित कर सकती है जिसने लोक प्रशासन अथवा इस संस्थान या इसकी किसी शाखा के प्रति सुस्पष्ट सेवा अर्पित की हो। ऐसे माननीय सदस्य के यथा-विहित अधिकार तथा प्राधिकार होंगे।
- 7. मानद मंबादवाता कार्य परिषद् लोक प्रशासन के अध्ययन अथवा व्यवहार में अभिरूचि रखने वाले अथवा उससे सरोकार रखने वाले किसी भी विदेशी राज्य के किसी व्यक्ति अथवा निकाय को संस्थान के मानद मंबाददाता के रूप में आमंत्रित तथा नियुक्त कर सकती है।

### III. पदाधिकारी

8. सभापति — भारत का उपराष्ट्रपति पदेन संस्थान का सभापति होगा, यदि वह इसके लिए सहमत हो। तथापि यदि, भारत का राष्ट्रपति सहमत नही होता अथवा अपनी स्वीकृति नही देता तो, संस्थान का सभापति सामान्य सभा द्वारा अपनी वार्षिक आम बैठक में अपने सदस्यों में से निर्वाचित किया जाएगा तथा यह सामान्य सभा की अगली वार्षिक आम बैठक तक अपने पद पर बना रहेगा तथा पुननिर्वाचित के थोग होगा। तथापि, कोई भी सदस्य, लगातार दो से अधिक अविध के लिए चुनाव नहीं

- 5. Corporate Members The Executive Council may, on application in the prescribed form, admit on such conditions as may be specified in each case, as a Corporate Member of the Institute, any authority of organisation within the public services, any approved association of members of any of such services, any University department or institute devoted to the study of public administration, any statutory corporation, any joint stock company, any registered society, or any registered business establishment.
- 5A. Associate Members -- The Executive Council, may on application in the prescribed form, admit as an Associate Member of the Institute a person who has completed 21 years of age and is actively interested or concerned in the practice or study of public administration. The rights and privileges of such Associate Member shall be as prescribed.
- 5B. Student Members -- The Executive Council, may on application in the prescribed form, admit as a Student Member of the Institute a bonafide postgraduate student interested in the study of public administration. The rights and privileges of such Student Member shall be as prescribed.
- 6. Honorary Members -- The Executive Council may elect as an Honorary Member of the Institute any person who has rendered conspicuous service to public administration or to the Institute or to any branch thereof. The rights and privileges of on Honorary Member shall be as prescribed.
- 7. Honorary Correspondents The Executive Council may invite and appoint any person or body in any foreign State interested or concerned in the practice or study of public administration to be an Honorary Correspondent of the Institute.

#### III. OFFICE BEARERS

8. President -- The Vice President of India shall be the Ex-officio President of the Institute, if he/she gives his/her consent to it. If however, the Vice President of India does not agree or give his/her consent, the President of the Institute shall be elected by the General Body in its Annual Meeting from amongst its members and shall hold

लड़ सकता। सभापित अपनी कार्यविधि के समाप्त हो जाने पर भी तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उत्तराधिकारी उसका पदभार ग्रहण नहीं कर लेता। वह नियम 22 में यथा प्राविहित सामान्य सभा की बैठक की तथा जब भी कार्य परिषद् की बैठक में उपस्थित होगा तब कार्य परिषद् की भी अध्यक्षता करेगा।

- 9. संस्थान का अध्यक्ष (क) संस्थान का अध्ययन कार्य परिषद् द्वारा सामान्य सभा की वार्षिक बैठक के बाद आयोजित अपनी पहली बैठक में सामान्य सभा के सदस्यों में से निर्वाचित किया जायेगा।
  - (ख) अध्यक्ष अपने चुनाव की तारीख से दो वर्ष की कार्य विधि के लिए अपना पदभार धारण करेगा किन्तु पुनर्निर्वाचन के लिये योग्य होगा;

    किन्तु अध्यक्ष अपनी कार्यविधि के समाप्त हो जाने के बाद भी तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उत्तराधिकारी उसका पदभार ग्रहण नहीं कर लेता।
  - (ग) जब भी अध्यक्ष के पद पर आकस्मिक रिक्ति उत्पन्न होगी तो कार्य परिषद् यथाशीघ्र अध्यक्ष निर्वाचित करेगी। वह पूर्व पदधारी के अवशिष्ट कार्यकाल के लिए पद धारण करेगा और पुननिर्वाचन के लिए योग्य होगा।

10. उपसभापति – संस्थान के चार उपसभापतियों का निर्वाचन कार्य परिषद् द्वारा सामान्य सभा के सदस्यों में से किया जायेगा तथा दो का निर्वाचन प्रतिवर्ष होगा। वे अपने निर्वाचन के पश्चात् सामान्य सभा की दूसरी वार्षिक आम सभा तक अपने पद धारण करेंगे। किन्तु पुननिर्वाचन के लिए योग्य होंगे।

किन्तु परिवर्ती उपाय के रूप में वर्ष 1990-91 के लिये उपसभापतियों की संख्या पांच होगी।

10अ अध्यक्ष स्थाई सिमिति – अध्यक्ष, स्थाई सिमिति का चुनाव कार्यकारी परिषद् द्वारा उपसभापतियों में से किया जाएगा तथा वह सामान्य सभा की दूसरी वार्षिक आम बैठक तक दो वर्ष की अविध के लिए पद धारण करेगा, किंतु पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा। अध्यक्ष, स्थाई सिमिति के

office until the next Annual General Meeting of the General Body and shall be eligible for re-election. No member shall, however, contest for more than two consecutive terms. The President shall notwithstanding the expiration of his/her term, continue to hold office until (his/her) successor enters upon his/her office. The President shall preside over the General Body Meeting as provided in Rule 22 and also the Executive Council whenever he/she is present at the Meeting of the Executive Council.

- 9. Chairman of the Institute:
- (a) The Chairman of the Institute shall be elected by the Executive Council in its first meeting convened after the Annual Meeting of the General Body from among the Members of the General Body.
- (b) The Chairman shall hold office for a term of two years from the date of his election but shall be eligible for re-election.

Provided that the Chairman shall notwithstanding the expiration of his term continue to hold office until successor enters upon his office.

- (c) Where a casual vacancy occurs in the office of the Chairman, the Executive Council shall elect a Chairman as soon as possible. He shall hold office for the unexpired portion of the term of office of previous incumbent but shall be eligible for re-election.
- 10. Vice-Presidents -- Four Vice-President of the Institute shall be elected by the Executive Council from among the members of the General Body, two elected every year, and shall hold office until the Second Annual General Meeting of the General Body after their election but shall be eligible for re-election.

Provided that for the year 1990-91, as a transitional measure, the number of Vice-President would be five.

### 10.A. Chairman Standing Committee:

The Chairman, Standing Committee shall be elected by the Executive Council from amongst the Vice-Presidents and shall hold office for a term of two years until the second Annual General Meeting of the General Body, but shall be eligible for re-election. When a

₩"

पद पर आकस्मिक रिक्ति होने पर संस्थान का अध्यक्ष, अविशिष्ट अबोध अर्थात सामान्य सभा की दूसरी वार्षिक आम बैठक होने तक स्थाई सिमिति के किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष, स्थाई सिमिति के कार्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त कर सकता है।

11. अवैतिनक कोषाध्यक्ष – संस्थान का अवैतिनक कोषाध्यक्ष कार्य परिषद् द्वारा सामान्य सभा के सदस्यों में से निर्वाचित किया जायेगा तथा निर्वाचन की तारीख से दो वर्ष की कार्यविधि के लिए अपना पद धारण करेगा किन्तु पुनर्चुनाव के लिए योग्य होगा।

किन्तु अपनी कार्यविधि के समाप्त हो जाने पर भी अवैतिनिक कोषाध्यक्ष तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कोई उत्तराधिकारी उसका पदभार ग्रहण नहीं कर लेता।

### 12. *निदेशक* -

- (क) संस्थान का निदेशक कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायेगा तथा उसकी कार्यविधि और सेवा की अन्य शर्ते यथाविहित होंगी।
- (ख) निदेशक कार्य परिषद् का पदेन सदस्य सचिव होगा।
- (ग) कार्य परिषद् की नीतियों के नियमन से सदस्य सचिव के रूप में संबंधित निदेशक, संस्थान के प्रशासनिक प्रधान तथा शैक्षणिक संकाय के अग्रणी के नाते, उन नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा। निदेशक को वे समस्त शक्तियां प्रत्यायोजित की जायेगी जिन्हें कार्य परिषद् उसके उत्तरदायित्व के निष्पादन हेतु आवश्यक समझे।

# IV. कार्य परिषद्

- 13. *कार्य परिषद् का गठन* (1) संस्थान की कार्य परिषद् निम्नांकित से संघटित होगी:
  - (क) संस्थान के सभापति (पदेन);
  - (ख) संस्थान के अध्यक्ष (परेन);
  - (ग) संस्थान के चार उपसभापति (पदेन);

casual vacancy occurs in the office of the Chairman, Standing Committee, the Chairman of the Institute may appoint any other member of the Standing Committee to discharge the functions of the Chairman. Standing Committee for the residual period, *i.e.*, till the second Annual General Meeting of General Body.

11. Honorary Treasurer -- The Honorary Treasurer of the Institute shall be elected by the Executive Council from amongst the members of the General Body and shall hold office for a term of two years from the date of his election, but shall be eligible for reelection.

Provided that an Honorary Treasurer shall notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until successor enters upon his office.

#### 12. Director:

- (a) The Director of the Institute shall be appointed by the Executive Council and his term of office and other conditions of service shall be such as may be prescribed.
- (b) The Director shall be the Member-Secretary of the Executive Council.
- (c) While associated, as Member-Secretary with the formulation of the Council's policies, the Director shall, as administrative head of the Institute and leader of the academic faculty, be responsible for the implementation of those policies. The Director shall be delegated all such powers as the Executive Council considers necessary for the discharge of his responsibility.

#### IV. EXECUTIVE COUNCIL.

- 13. Composition of the Executive Council: (1) The Executive Council of the Institute shall be composed of:
  - (i) President of the Institute (ex-officio);
  - (ii) Chairman of the Institute (ex-officio);
  - (iii) Four Vice-Presidents of the Institute (ex-officio);

- (घ) संस्थान के अवैतनिक कोषाध्यक्ष (पदेन);
- (ड.) तीन क्षेत्रीय शाखाओं के अध्यक्ष (पदेन)। सात क्षेत्रीय शाखाओं के अध्यक्षों का चक्रानुक्रम से कार्यकारी परिषद् द्वारा सहयोजन; उन क्षेत्रीय शाखाओं में से जो सीधे निर्वाचन के माध्यम से कार्यकारी परिषद् में प्रतिनिधित्व नहीं पाते। यदि इस प्रकार सहयोजित किसी क्षेत्रीय शाखा का अध्यक्ष कार्य-परिषद् की सभा में उपस्थित होने की स्थिति में नहीं है तो वह शाखा के सचिव को सभा में उपस्थित होने के लिए मनोनीत कर सकता है।
- (च) नियम 14 (1) में यथा प्राविहित निर्वाचित अथवा सहयोजित अठ्ठाईस सदस्य; तथा
- (छ) संस्थान के निदेशक (पदेन)
- (2) उपस्थित होने पर संस्थान का सभापति कार्य परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करेगा। उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष तथा अध्यक्ष की अनुपस्थिति से उपसभापितयों में से एक कार्य परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करेगा। यदि कोई भी उपसभापित उपस्थित नहीं है तो कार्य परिषद् अपने उपस्थित सदस्यों में से उस बैठक के लिए अध्यक्ष निर्वाचित करेगी।
- (3) कार्य परिषद् की बैठक के लिए गणपूर्ति (कोरम) दस सदस्य होगी।
  - 14. नियम 13(1)(VI) में निर्दिष्ट सदस्यों का चुनाव तथा सहयोजन-
- (क) प्रति चार वर्ष की अविध में एक बार, संस्थान के सदस्य अपने में से ही कार्य परिषद् के बीस सदस्य निर्वाचित करेंगें जो कार्यकारी परिषद् के शेष आठ सदस्यों का सहयोजन करेंगें। बशर्ते ऐसे किसी भी सदस्य का जो चुनाव में खड़ा हुआ हो और हार गया हो उस अविध के लिए कार्यकारी परिषद् में सहयोजन नहीं होगा। सहयोजन तथा कार्य-परिषद् की समितियों का गठन नियम 9 (क) में निर्दिष्ट बैठक में अथवा उसके पश्चात् यथाशोध्र बुलाई गई कार्य परिषद् की बैठक में किया जाएगा।

- (iv) Honorary Treasurer of the Institute (ex-officio);
- (v) Chairmen of seven Regional Branches to be co-opted by rotation by the Executive Council from among those Regional Branches which do not find representation on the Executive Council through direct election. In case the Chairman of a Regional Branch so co-opted is not in a position to attend the Meeting of the Executive Council, he may nominate the Secretary of the Branch to attend the Meeting.
- (vi) Twentyeight members elected or co-opted as provided in Rule 14 (1); and
- (vii) Director of the Institute (ex-officio).
- 2. The President of the Institute whenever he is present shall preside over the meetings of the Executive Council. In his absence, the Chairman and in the absence of the Chairman, one of the Vice-Presidents shall preside over the meetings of the Executive Council. If none of the Vice-Presidents is present, the Executive Council shall elect the Chairman for the meeting from amongst its members present.
- 3. The quorum for the meeting of the Executive Council shall be ten members.
- 14. Election and Co-option of Members referred to in Rule 13 (1) (vi) -- (1) Members of the Institute shall elect from amongst themselves twenty members of the Executive Council, once in a period of four years, who shall co-opt the remaining eight members of the Executive Council provided that no member who has contested election and lost shall be co-opted to the Executive Council for that term. The co-option and constitution of Committees of the Executive Council shall take place at the Meeting referred to in Rule 9 (a) or at a subsequent meeting of the Executive Council to be convened as soon, thereafter as possible.

शर्त के अनुसार वर्ष 2002 में कोई चुनाव नहीं होगा और उसके बाद, वर्ष 2004 से, कार्यकारी परिषद के सभी बीस सदस्यों के निर्वाचन के लिए, चार साल में एक बार निर्वाचन होगा। अस्थाई उपाय के रूप में, वर्ष 2002 में परिणाम स्वरूप होने वाले 10 रिक्त पदों के लिए, संस्थान के अध्यक्ष, दो वर्ष की अविध के लिए उन क्षेत्रीय शाखाओं जो वर्तमान कार्य परिषद् में पर्याप्तत: प्रतिनिधितव प्राप्त नहीं हैं - के अध्यक्षों में से सहयोजन करेंगे। कुछ प्रतिनिधित्व स्थानीय शाखाओं को भी दिया जा सकता है।

- (ख) नियम 13(1)(6) में निर्दिष्ट तथा इस नियम के खंड 1 में यथाविहित निर्वाचित अथवा सहयोजित कार्य परिषद् के अठ्ठाईस सदस्यों में से तीन संस्थान के शैक्षणिक कर्मचारी वर्ग में के सदस्यों में से होंगे (प्रोफेंसरों में से दो तथा रीडर/लेक्चरर मे से एक), जिनका निर्वाचन वे स्वंय करेंगें। ऐसे सहयोजित शैक्षणिक कर्मचारी वर्ग का संस्थान की सेवा में कम से कम पांच वर्ष पूरे होने चाहिए। कार्य परिषद् के शेष पांच सहयोजित सदस्यों में से तीन भारत-सरकार के सचिव होंगे।
- (ग) कोई भी सदस्य तब तक कार्य परिषद् के सदस्य के लिये चुनाव का पात्र नहीं होगा जब तक कि वह कम से कम दो सदस्यों द्वारा नामोंकित न किया गया हो तथा जब तक कि ऐसा नामांकन निर्धारित तारीख अथवा उससे पूर्व तथा विहित रीति से निदेशक को प्राप्त न हो गया हो।
- (ए) यद्यपि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान समिति के सदस्य रूप में संस्थान के कर्मचारी अन्य सभी अधिकार प्राप्त करते हैं, उन्हें कार्य परिषद् के निर्वाचन की प्रतियोगिता में भाग लेने का अथवा निर्वाचन एजेंट के कार्य का, अथवा किसी प्रकार भी किसी प्रत्याशी के लिए पक्ष प्रचार का अधिकार नहीं है। तथापि, वे कार्य परिषद् के निर्वाचन में अपना वोट डाल सकते हैं।
- (घ) चुनाव डाक मतपत्र द्वारा होगा। अन्य प्रकार से प्रेषित कोई भी मत स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (ड़) कार्य परिषद् के निर्वाचित सदस्य सामान्य सभा की चौथी वार्षिक आम सभा तक तथा सहयोजित सदस्य सामान्य सभा की दूसरी वार्षिक आम सभा तक अपना पद धारण करेंगें।
- (च) कार्य परिषद् के लिये चुनाव का इच्छुक प्रत्येक प्रत्याशी 500 रू की प्रत्यर्पणीय राशि जमा करेगा जो उसे तभी वापिस की जायेगी यदि डाले गए कुल मतों के दशमांश मत उसने प्राप्त किये हों।

Provided that, no election will be held in the year 2002 and henceforth, from the year 2004, elections to the Executive Council shall be held once in four years to elect all the twenty members. As a transitory measure, co-option against the resultant ten vacancies arising in the year 2002 shall be made by the Chairman, IIPA for a period of two years from among the Chairmen of such Regional Branches as are not adequately represented in the present Executive Council. Some representation may also be given to Local Branches.

- (2) Of the twenty-eight members of the Executive Council referred to in Rule 13 (1) (vi), and elected or co-opted as provided in clause 1 of this Rule, three shall be from among the members of the Academic Staff of the Institute (two from among Professors and one from Readers/Lecturers) to be elected from among themselves. The academic staff so co-opted shall have put in at least five years of service in the Institute. Of the remaining five co-opted members of the Executive Council, three shall be Secretaries to the Government of India.
- (3) No member shall be eligible for election as a member of the Executive Council, unless he is nominated by at least two Members and unless such nominations are received by the Director on or before the prescribed date and in the prescribed manner.
- (i) While the Institute employees as members of IIPA Society shall have other rights, they shall not be entitled to contest elections to the Executive Council or act as election agent for any candidate, or canvass for any candidate in any manner. However, they may cast their vote in the elections to the Executive Council.
- (4) The election shall be by postal bailot. No vote shall be accepted when delivered otherwise.
- (5) Elected members of the Executive Council shall hold office until the Fourth Annual General Meeting of the General Body and the co-opted members shall hold office until the Second Annual General Meeting of the General Body.
- (6) Every candidate seeking election to the Executive Council shall make a refundable deposit of Rs. 500 which will be refunded to him if he polls one-tenth of the total votes Cast.

- 15. आकस्मिक रिक्तियां कार्य-परिषद् के सदस्यों की मृत्यु, त्याग-पत्र, हटाए जाने अथवा अन्य प्रकार से उत्पन्न आकस्मिक रिक्तियां कार्य परिषद् के सहयोजन द्वारा भरी जायेंगीं तथा इस प्रकार सहयोजित सदस्य रिक्ति उत्पन्न करने वाले सदस्य के असमाप्त कार्यकाल के लिये पद धारण करेगा।
- 16. कार्य परिषद् में कोई रिक्ति तथा इसके गठन में कोई दोष होते हुए भी कार्य परिषद् अपना कार्य करेगी तथा कार्य परिषद् का कोई भी कार्य अथवा कार्यवाही केवल इसके सदस्यों में कोई रिक्ति होने के कारण अथवा इसके गठन में कोई दोष होने के कारण अवैध नहीं होगी।
  - 17. कार्य परिषद् के अधिकार तथा कार्य -
- (1) सामान्य सभा के सामान्य नियंत्रण तथा निर्देशों के अधीन कार्य परिषद् इन नियमों तथा इनके अधीन संस्थान के उद्देश्यों की अभिवृद्धि हेतु बनाये गये उपनियमों के अनुसार संस्थान के मामलों के प्रबंध तथा प्रशासन के लिये उत्तरदायी होगी तथा उसे वे समस्त अधिकार प्राप्त होंगें जो इस प्रायोजन हेतु आवश्यक अथवा वांछनीय हों।
- (2) पूर्ववर्ती उपनियम द्वारा प्रदत्त सामान्य अधिकार के रहते हुए कार्य परिषद् के निम्नांकित अधिकार होंगें –
  - (क) सदस्यता के आवेदन-पत्रों पर निर्णय लेना;
  - (ख) संस्थान के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिये विस्तृत योजनाएं तथा कार्यक्रम तैयार करना तथा उन्हें कार्यन्वित करना;
  - (ग) संस्थान की निधि प्राप्त करना, उसकी अभिरक्षा करना तथा उसे विकसित करना और संस्थान की संपत्ति का प्रबंध करना;
  - (घ) संस्थान के कार्यों के कुशल प्रबंध के लिये अपेक्षित कर्मचारी नियुक्त करना तथा उनका नियंत्रण करना और उनकी भर्ती तथा सेवा की शर्ते विनियमित करना;
  - (इ.) संस्थान के लिये अथवा संस्थान की ओर से अनुबंध करना;
  - (च) संस्थान की ओर से सारी कानूनी कार्यवाईयाँ करना तथा उनका प्रतिवाद करना;
  - (छ) संस्थान के किसी भी कार्य को निपटाने तथा संस्थान से संबंधित किसी भी विषय में सलाह देने के लिये समितियाँ नियुक्त करना; तथा

- 15. Casual Vacancies -- Any Casual vacancy amongst the members of the Executive Council, arising from death, resignation, removal or otherwise, may be filled by co-option by the Executive Council and the member so co-opted shall hold office for the unexpired portion of the term of office of the member causing the vacancy.
- 16. The Executive Council shall function notwithstanding any vacancy therein and notwithstanding any defect in its constitution and no act or proceeding of the Executive Council shall be invalid by reason only of the existence of any vacancy amongst its members or any defect in its constitution.
  - 17. Power and Function of the Executive Council:
- (1) Subject to the general control and directions of the General Body, the Executive Council shall be responsible for the management and administration of the affairs of the Institute in accordance with these Rules and the bye-laws made thereunder for the furtherance of its objects and shall have all powers which may be necessary or expedient for the purpose.
- (2) Without prejudice to the generality of the powers conferred by the foregoing sub-Rule, the Executive Council shall have the power:
  - (i) to take decision on application for membership;
  - (ii) to prepare and execute detailed plans and programmes for the furtherance of the objects of the Institute;
  - (iii) to receive, to have custody of and to expand the funds of the Institute and to manage the properties of the Institute;
  - (iv) to appoint and control such staff as may be required for the efficient management of the affairs of the Institute and to regulate their recruitment and conditions of service;
  - (v) to enter into agreement for and on behalf of the Institute;
  - (vi) to use and defend all legal proceedings on behalf of the Institute;
  - (vii) to appoint Committees for disposal of any business of the Institute or for advice in any matter pertaining to the Institute; and

- (ज) संस्थान के कार्यों के व्यवस्थापन तथा प्रबंध और प्रशासन से संबंधित किन्हों भी प्रयोजनों के लिये और संस्थान के उद्देश्यों के प्रोत्साहन के लिये उपनियम बनाना, अपनाना तथा समय-समय पर उनमें परिवर्तन करना। विशेषतः कार्य परिषद्, क्षेत्रीय शाखाओं तथा स्थानीय शाखाओं तथा स्थायी समिति सहित इसके द्वारा नियुक्त अन्य समितियों के कार्य संचालन हेतु तथा सह-सदस्यों के अधिकारों तथा सुविधाओं को विनियमित करने हेतु, अपने अधिकार प्रत्यायोजित करने हेतु अपने गणपूर्ति निश्चित करने और सहयोजन हेतु उपनियम बनाना, अपनाना तथा समय-समय पर उनमें परिवर्तन करना।
- 18(क) स्थायी सिमिति कार्य-परिषद् अपने सदस्यों में से, (अ) संस्थान के सामायिक कार्यों, तथा (आ) अन्य ऐसे सभी कार्यों जो उसके द्वारा सोंपें गए हों, को सम्पन्न करने तथा निबटाने हेतु एक स्थायी सिमिति नियुक्त करेगी। इसमें नियम 10अ के अधीन निर्वाचित अध्यक्ष तथा निदेशक को सिम्मिलित करते हुए अधिक से अधिक 11 सदस्य होंगें। स्थायी सिमिति का सदस्य सामान्य सभा की दूसरी वार्षिक आम सभा तक अथवा जब तक उसकी कार्य परिषद् की सदस्यता समाप्त नहीं होती, इनमें से जो भी पहले हो, तब तक अपना पद धारण करेगा किंतु पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

18(ख) कार्य परिषद्, अध्यक्ष रूप में निदेशक सहित अधिकतम 15 सदस्यों की शैक्षणिक समिति का निर्वाचन करेगी। शैक्षणिक समिति का कार्य होगा - शिक्षा, प्रशिक्षण, शोध और परामर्श के शैक्षणिक मामलों में कार्य परिषद् की सहायता करना। शैक्षणिक समिति का सदस्य सामान्य सभा के दूसरे वार्षिक आम बैठक तक अपना पद धारण करेगा तथा पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

# V. संस्थान की सामान्य सभा की बैठकें

- 19. सामान्य सभा की वार्षिक सामान्य बैठक संस्थान के अध्यक्ष द्वारा संस्थान के सभापित की सहमित से बैठक की तारीख, समय,स्थान तथा चर्चित होने वाले कामकाज की सामान्य प्रकृति का कम-सं-कम इक्कीस दिन का नोटिस देने के पश्चात्, प्रतिवर्ष सितम्बर या अक्तूबर के महीने में आमंत्रित की जायेगी। इसमें निम्नलिखित काम-काज किये जायेंगे:
  - (क) प्रत्येक एकान्तर वर्ष में संस्थान के सभापित का चुनाव;

- (viii) to make, adopt and vary from time to time bye-laws for the regulation of and for any purposes connected with the management and administration of the affairs of this Institute and for furtherance of its objects, in particular to make, adopt and vary from time to time bye-laws for conducting the business of the Executive Council, the Regional Branches, the Local Branches and the Committees to be appointed by it including the Standing Committee, for regulating the right and privileges of Associate Members, for delegation of its powers, for fixing the quorum and for co-option.
- appoint a Standing Committee -- The Executive Council shall appoint a Standing Committee from amongst its member of not more than 11 members including the Chairman elected under Rule 10A and the Director to attend to and dispose of: (i) the current business of the Institute on its behalf, and (ii) such other business as may be delegated to it by the Executive Council. A member of the Standing Committee shall hold office until the Second Annual General Meeting of the General Body or until he ceases to be a member of the Executive Council, whichever is earlier but shall be eligible for reappointment.
- 18 (b) The Academic Committee --- The Executive Council shall appoint an Academic Committee of not more than 15 members including the Director as Chairman. The function of the Academic Committee shall be to assist the Executive Council in matters of academic character such as those pertaining to education, training, research and consultancy. A member of the Academic Committee shall hold office until the Second Annual General Meeting of the General Body and shall be eligible for re-appointment.

# V. MEETINGS OF THE GENERAL BODY OF THE INSTITUTE

- 19. The Annual General Meeting of the General Body shall be called by the Chairman of the Institute with the consent of the President of the Institute in the month of September or October every year after giving at least twenty one days' notice of the date, time, place and the general nature of business to be discussed at such meeting and shall transact the following business:
  - Election of the President of the Institute every alternate, year;

- (ख) वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार;
- (ग) गत वर्ष के तुलन-पत्रक तथा परीक्षित लेखा विवरण पर विचार;
- (घ) अगले वर्ष के लिए लेखापरीक्षकों की नियुक्ति तथा उनका पारिश्रमिक निश्चित करना;
- (इ.) कार्यसूची के अन्य कार्य; तथा
- (च) ऐसे अन्य कार्य जो नियम 24 के प्रावधान के अनुसार पीठासीन अधिकारी की अनुमित से प्रस्तुत किये जायें।
- 20. सामान्य सभा की वार्षिक आम बैठक के उपरान्त चौदहवें दिन अथवा उससे पूर्व कार्य परिषद् के सदस्यों के नाम, पते तथा व्यवसायों की सूची संयुक्त पूंजी कम्पनी के पंजीयक को प्रेषित की जायेगी।
- 21. संस्थान का सभापति स्वेच्छा से, तथा संस्थान के कम-से-कम तीन सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित मांग पर यदि वांछित हो तो, कम-से-कम चौदह दिन की सूचना पर सामान्य सभा की विशेष बैठक बुला सकता है।
- 22. सभापति अथवा उसकी अनुपस्थिति में संस्थान का अध्यक्ष अथवा उन दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई एक उपसभापति सामान्य सभा की बैठक की अध्यक्षता करेगा।
- 23. सामान्य सभा की किसी भी बैठक के लिये संस्थान के पचास सदस्य गणपूर्ति (कोरम) स्थापित करेंगें।
- 24. बैठक आयोजन की सूचना में सम्मिलित कामकाज के अथवा ऐसे कामकाज, जिसकी सूचना निदेशक को सभा के कम-से-कम सात दिन पूर्व दी गयी है, के अतिरिक्त अन्य किसी विषय पर पीठासीन अधिकारी की अनुज्ञा के बिना विचार नहीं किया जायेगा।
- 25. सामान्य सभा में प्रत्येक प्रश्न का निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा लिया जायेगा। सामान्य सभा के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा तथा मतों की संख्या समान होने पर पीठासीन अधिकारी का दूसरा अथवा निर्णायक मत होगा।

- (b) consideration of the Annual report;
- (c) consideration of the balance-sheet and the audited accounts for the outgoing year;
- (d) appointment of the Auditors for the ensuing year and fixing their remuneration;
- (e) other business on the agenda; and
- (f) such other business as may be brought forward with the permission of the presiding officer as provided in Rule 24.
- 20. On or before the fourteenth day succeeding the day on which the Annual General Meeting of the General Body is held, a list shall be filed with Registrar of Joint Stock Companies, Delhi, of the names, addresses and occupations of the members of the Executive Council.
- 21. The President of the Institute may of his own accord and shall if required to do by requisition in writing signed by not less than thirty members of the Institute, call after notice of at least fourteen days, a Special Meeting of the General Body.
- 22. The President, or in his absence, the Chairman of the Institute, or in the absence of both, one of the Vice-Presidents to be elected by those present, shall preside at the meeting of the General Body.
- 23. Fifty members of the Institute shall form a quorum for any meetings of the General Body.
- 24. No business other than the business included in the notice convening the meeting or business of which notice has been given to the Director at least seven days before the date of the meeting, shall be discussed in the meeting except with the permission of the presiding officer.
- 25. Every question shall be decided by the General Body by a majority of those present. Every member of the General Body shall have one vote and in case of equality of votes the presiding officer shall have a second or casting vote.

# VI. क्षेत्रीय शाखाएं

- 26 (1) कार्य परिषद् किसी राज्य अथवा केन्द्र शासित प्रदेश या राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के वर्ग के लिये क्षेत्रीय शाखा तथा किसी राज्य अथवा केन्द्रशासित प्रदेश के अन्तर्गत किसी क्षेत्र के लिये एक अथवा अधिक स्थानीय शाखाओं का गठन करेगी अथवा करवायेगी।
- (2) कार्य परिषद् द्वारा बनाए गए उपनियमों के उपबंधों के अधीन प्रत्येक क्षेत्रीय शाखा तथा स्थानीय शाखा अपना अध्यक्ष, सचिव तथा कोषाध्यक्ष नियुक्त करेगी तथा इन नियुक्तियों की सूचना निदेशक को देगी।
- 27. प्रत्येक क्षेत्रीय अथवा स्थानीय शाखा अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत संस्थान के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक तथा कार्य परिषद् द्वारा निर्मित उपनियमों के अनुरूप किसी भी क्रियाकलाप में संलग्न हो सकती है। प्रत्येक ऐसी क्षेत्रीय अथवा स्थानीय शाखा स्वयं अपना कार्यक्रम आयोजित करेगी तथा कार्य के अपने नियम बनाएगी और सामान्यत: भा.लो.प्र.सं., नई दिल्ली के निर्देशों तथा सुझावों के अनुसार अपने कार्यकलाप संचालित करेगी।

# VII. शुल्क तथा चन्दा

- 28(1) सदस्यता के लिये वार्षिक चन्दा 400रू। कोई भी सदस्य, किसी भी समय वार्षिक चन्दे की राशि की दस गुना राशि के बराबर राशि का एकमुश्त भुगतान करके संस्थान का आजीवन सदस्य बन सकता है।
  - (2) निगमित सदस्यो द्वारा देय वार्षिक चन्दा निम्नानुसार होगा -
  - (क) सार्वजनिक क्षेत्र तथा सार्वजनिक निगम, सरकारी कम्पनियाँ तथा व्यापारिक संगठन –
  - (अ) जिसकी अभिदत पूंजी एक करोड अथवा अधिक है। 20,000 रू
  - (आ) जिसकी अभिदत पूंजीएक करोड़ से कम है।10,000 रू
  - (ख) राज्य सरकार/केन्द्रशासित प्रदेश कम से कम 10,000 रू वार्षिक
  - (ग) अन्य (शोध संस्थान, सरकारी विभाग, 2,000 रू विश्वविद्यालय विभाग/महाविद्यालय आदि)

#### VI. REGIONAL BRANCHES

- 26 (1). The Executive Council may constitute or cause to be constituted a Regional Branch for any State or Union Territory or a group of States/Union Territories and one or more local Branches for any area within any state or Union Territory.
- (2) Subject to the provisions of bye-laws made by the Executive Council, each Regional Branch and a Local Branch shall appoint its Chairman, its Secretary and its treasurer and shall notify the appointments to the Director.
- 27. Each Regional or Local Branch may within its area of jurisdiction engage in any activities conducive to the attainment of the objects of the Institute consistently with the bye-laws made by the Executive Council. Each such Regional or Local Branch shall arrange its own programmes and frame its own rules of business and generally conduct its activities in accordance with the directions and suggestions of IIPA, New Delhi.

### VII. FEE AND SUBSCRIPTION

- 28 (1) The annual subscription for membership shall be Rs. 400. A member may, at any time, become a life member by making a lumpsum payment equal to ten times the amount of annual subscription.
- (2) The annual subscription payment by Corporate Members shall be as follows:
  - (i) Public Sector and Statutory Corporations, Government Companies and Business Establishments:
    - (a) Whose subscribed capital is
      Rs. one crore and above
      Rs. 20,000
    - (b) Whose subscribed capital is below Rs. one crore

Rs. 10,000 A minimum

ii) State Government/
Union Territories.

of Rs. 10,000 per annum

(iii) Others (Research Institutions, Govt. Deptts., University Deptts./Colleges, etc.)

Rs. 2,000

निगमित सदस्य किसी भी समय वार्षिक चन्दे की राशि की दस गुना राशि के बराबर राशि का एकमुश्त भुगतान कर बीस साल के लिये वार्षिक चन्दे की अपनी देयता संयोजित कर सकता है।

- 2(क) सह-सदस्यता तथा छात्र सदस्यता के लिये वार्षिक चन्दा 200 रू होगा।
- (ख) कम-से-कम 50,000 रू की सिश दान देने वाले सदस्य को 'दाता' सदस्य कहा जायेगा।
- (3) वार्षिक चन्दे का भुगतान कैलेडर वर्ष के आरंभ में अग्रिम रूप से किया जायेगा।
- (4) कैलेंडर वर्ष के आरम्भ होने के बाद बनाए गए सदस्य उस वर्ष के अवशिष्ट तिमाही के आधार पर चन्दे का भुगतान करेंगें।
- 29. 1 अप्रैल, 1955 को अथवा उसके बाद सदस्यता के लिये आवेदन करने वाले व्यक्तियों को ऐसा प्रवेश शुल्क यदि कुछ हो, भुगतान करना पड़ेगा जो सामान्य सभा द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
- 30. (1) किसी भी सदस्य का प्रवेश तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि उसके द्वारा देय वार्षिक अथवा आनुपातिक चन्दा तथा ऐसे प्रवेश के लिए प्रवेश शुल्क यदि कोई है, का भुगतान न हो गया हो।
- (2) किसी भी सदस्य को कार्य-परिषद् के सदस्य निर्वाचित करने हेतु, उम्मीदवार बनने अथवा मत देने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक उसके पहलें के दो क्रमिक कैलेंडर वर्षों में बिन किसी अंतराल के सदस्य न रहा हो, तथा उसने उस के साथ के 31 मार्च तक उस वर्ष तक का पूरा चंदा भुगतान न कर दिया हो।

# उदाहरण

वर्ष 2004 में हाने वाले चुनाव के लिये केवल वही सदस्य उम्मीदवार बनने, मत डालने तथा उसमें किसी भी प्रकार से हिस्सा लेने का पात्र होगा जो 1 जनवरी 2002 अथवा उसके पहले से लगातार सदस्य रहा है तथा जिसने 31 मार्च 2004 को अथवा उससे पूर्व वर्ष 2002, 2003 तथा वर्ष 2004 का चन्दा भुगतान कर दिया है।

### VII. सामान्य

31. संस्थान का मुख्यालय दिल्ली अथवा नई दिल्ली में होगा।

A corporate Member may, at any time, compound its liability to pay annual subscription for twenty years by making a lumpsum payment equal to ten times the amount of annual subscription.

- (2A) The Annual subscription for Associate Membership and Student Membership shall be Rs. 200.
- (2B) Members who pay a donation of not less than Rs. 50,000 shall be called "Donor" Members.
- (3) The annual subscription shall be payable in advance at the commencement of the Calendar year.
- (4) Members admitted after the commencement of the calendar year shall pay subscriptions based on the number of residuary quarters of that year.
- 29. Persons applying for admission to membership on or after the 1st April, 1955 shall be liable to pay such entrance fee, if any, as may be determined by the General Body.
- 30 (1) The admission of a member shall not be effective until the annual or proportionate subscription and the entrance fee, if any, payable by him for such admission have been paid.
- (2) No member shall be allowed to be a candidate or vote at an election for electing members of the Executive Council unless he has been a member without break continuously for two consecutive calendar years prior to that year in which the elections are held and has paid his subscription in full up to that year by 31st March of that year.

#### Illustration

For the election to be held in the year 2004, a member to be eligible to be a candidate or to vote or to participate in any manner should have been a member continuously from 1st January 2002 or earlier and should have paid on or before 31st March 2004 subscription for the years 2002, 2003 and 2004.

### VII. GENERAL

31. The headquarters of the Institute shall be at Delhi or New Delhi.

- 32. संस्थान के लेखों का परीक्षण सामान्य सभा द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षक द्वारा किया जायेगा।
- 33. निगमित सदस्य के अधिकारों का प्रयोग उनके द्वारा सदस्यता आवेदन-पत्र में प्राधिकृत प्रतिनिधि करेगा या उनकी तरफ से ऐसा प्रतिनिधि करेगा जिसकी अभिसूचना निदेशक को दी गयी हो।
- 34. कोई भी ऐसा सदस्य जिसने संस्थान के नियमों का उल्लंघन किया हो अथवा जिसने किसी ऐसे नियम का पालन करने से इन्कार अथवा अवहेलना की हो अथवा जिसने कोई ऐसा कार्य किया हो जिससे कार्य परिषद् के मत में संस्थान की अवमानना परिकलित अथवा संभाव्य हो तो कम-से-कम इक्कीस दिन का नीटिस देने के उपरान्त इस प्रयोजन हेतु बुलाई गयी विशेष बैठक में कार्य परिषद् के उपस्थित तीन-चौथाई सदस्यों द्वारा पारित संकल्प से सदस्यता से हटाया जा सकता है।

किन्तु ऐसा कोई भी संकल्प तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि संबाधित सदस्य को इस बैठक के कम-से-कम इक्कीस दिन पूर्व पंजीकृत पत्र (पावती सहित) द्वारा सभा की तारीख, समय तथा स्थान और उन आधारों के बारे में जिनके कारण उनको संस्थान की सदस्यता से हटाया जाना प्रस्तावित है की सूचना न दी गयी हो तथा इस बैठक में कार्य परिषद् के सम्मुख अपने आचरण को लिखित में अथवा वैयक्तिक रूप से स्पष्ट करने का मौका न दिया गया हो।

- 35. (1) जब तक कि कार्य परिषद् अन्यथा निर्णय न ले उस सदस्य का नाम संस्थान के सदस्यों की नामावली से हटा दिया जायेगा जिसका दो साल से भी अधिक का चन्दा बकाया है।
- (2) संस्थान के सदस्यों की नामावली से हटाए गए सदस्य का नाम केवल ऐसी धनराशि का भुगतान करने पर पुर्नस्थापित किया जायेगा जो कार्य परिषद् द्वारा प्रत्येक मामले में निर्धारित की जाये।
- 36. (1) संस्थान के नियमों में तब तक परिवर्तन नहीं होगा जब तक इस प्रायोजन हेतु आयोजित सामान्य सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत द्वारा ऐसा कोई संकल्प पारित नहीं किया जाता।
- (2) संस्थान के नियमों में परिवर्तन के किसी भी प्रस्ताव पर सामान्य सभा द्वारा तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि इसका कम-से-कम 28 दिन का नोटिस निदेशक को न दिया गया हो तथा जब तक निदेशक द्वारा इसका कम-से-कम चौदह दिन का नोटिस सदस्यों को न दिया गया हो।

- 32. The accounts of the Institute shall be audited by the Auditors appointed for the purpose by the General Body.
- 33. The rights of a Corporate Member shall be exercised by its representative specified in the applications for membership or otherwise notified to the Director in this behalf.
- 34. Any member who has committed a breach of any of the Rules of the Institute or who has refused or neglected to abide by any of such Rule or who has committed any act which, in the opinion of the Executive Council is calculated or likely to bring discredit to the Institute may be removed from the membership of the Institute by a resolution of three-fourths of the members of the Executive Council present at a special meeting thereof convened for the purpose after at least twenty one days' notice;

Provided that no such resolution shall be passed unless the member concerned is informed by a registered letter (acknowledgement due) at least twenty-one days before such meeting of the date, time and place of the meeting and of the grounds on which it is proposed to remove him from membership of the Institute and is given an opportunity to explain his conduct to the Executive Council in writing or in person at such meeting.

- 35 (1). The name of any member whose subscription falls in arrear for more than two years shall be removed from the Roll of Members of the Institute unless the Executive Council shall otherwise decide.
- (2) The name of a member removed from the Roll of Members of the Institute may be restored thereto only on payment of such sum as the Executive Council may determine in each case.
- 36 (1). The Rules of the Institute shall not be altered except by a resolution passed by a two-thirds majority of the members present at a meeting of the General Body convened for the purpose.
- (2) No proposal for alteration of the Rules of the Institute shall be considered by the General Body, unless at least twenty-eight days' notice thereof has been given to the Director and unless at least fourteen days' notice thereof has been given by the Director to the members.

37. यदि संस्थान के विघटन के समय इसके ऋणों तथा दायित्वों का भुगतान करने के उपरान्त कोई भी सम्पत्ति शेष बचती है तो यह संस्थान के सदस्यों को दी अथवा बाँटी नहीं जायेगी अपितु अविघटन के समय व्यक्तिगत रूप से अथवा परोक्ष प्रतिनिधित्व से उपस्थित सदस्यों के कम-से-कम 3/5 मतों द्वारा अथवा इसके अभाव में सक्षम न्यायालय द्वारा निर्धारित किसी अन्य संस्था को दे दी जायेगी।

हम, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की कार्य परिषद् के चार अधोहस्ताक्षरधारी सदस्य यहाँ यह प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त कथित संस्थान के नियमों की सही प्रति है।

13 मार्च 1954, नई दिल्ली

37. If upon the dissolution of the Institute, there shall remain after the satisfaction of its debts and liabilities any property whatsoever, the same shall not be paid to or distributed among the members of the Institute but shall be given to some other society to be determined by the votes of not less than three-fifths of the members present personally or by proxy at the time of dissolution or, in default thereof, by a competent court.

We, the undersigned being four of the members of the Executive Council of the Indian Institute of Public Administration, do hereby certify that above is a correct copy of the Rules of the said Institute.

This Thirteenth day of March, 1954, New Delhi.

क्र.सं.	साक्षी	कार्य परिषद् के चार सदस्यों के नाम, पता तथा व्यवसाय	हस्ताक्षर
1.		वाई.एन. सुखटणकर मंत्रिमंडलीय सचिव तथा सचिव, योजना आयोग, 3, क्वीन्सवे, नई दिल्ली।	ह.
2.		ए.के. चंदा, सचिव, उत्पादन मंत्रालय, 5 सुनहरी बाग रोड, नई दिल्ली।	ह.
3.		एच.एम. पटेल, सचिव, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय, 2 रॉबर्टस रोड, नई दिल्ली।	₹.
4.		एच.एन. कुन्जुरू, सदस्य, राज्य सभा, 18 फिरोज्शाह रोड, नई दिल्ली। साक्षी	ह,
		साक्षा बी.जी. मुर्देश्वर संयुक्त सचिव, विधि मंत्रालय, 14 सॅबर्टस लेन, नई दिल्ली।	₹,

SI. No.	Witness	Names, Address and Occupation of four Members of the Executive Council	Signature of
1.		Y.N. Sukthankar, Cabinet Secretary and Secretary, Planning Commission, 3 Queensway, New Delhi.	Sd/-
2.		A.K. Chanda, Secretary, Ministry of Production, 5 Sonehri Bagh Road, New Delhi.	Sd/-
3.		H.M. Patel, Secretary, Ministry of Food & Agriculture, 2 Roberts Road, New Delhi.	Sd/-
4.		H.N. Kunzru, Member, Council of States, 18 Ferozshah Road, New Delhi. WITNESS	Sd/-
		B.G. Murdeshwar, Joint Secretary, Ministry of Law, 14 Roberts Lane, New Delhi.	Sd/-